पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने न्यायिक सेवा संघ के अधिवेशन का समापन किया
न्यायिक निर्णय की गुणात्मकता का भी विशेष ध्यान रखा जाए - श्री नाईक

लखनऊ: 11 मार्च, 2018

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज नवनिर्मित उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के प्रेक्षागृह में आयोजित उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के अधिवेशन का समापन करते हुए कहा कि लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की अपनी-अपनी भूमिका है। जनता का आज भी न्यायपालिका पर सबसे ज्यादा विश्वास है। आने वाले समय में न्यायपालिका पर जनता का विश्वास और सुदृढ़ हो, इस पर विचार किया जाए। न्यायिक अधिकारी न्यायपालिका के प्रमुख घटक हैं। लम्बित वाद का बोझ चिंता का विषय है पर इस बीमारी का हल निकालना भी जरूरी है क्योंकि कहा जाता है कि 'न्याय में देरी, अन्याय है'। न्यायिक प्रणाली की सफलता इसमें है कि दोनों पक्षों को लगना चाहिए कि उन्हें न्याय मिला है। उन्होंने कहा कि न्यायिक निर्णय की गुणात्मकता का भी विशेष ध्यान रखा जाए।

राज्यपाल ने समापन समारोह में न्यायिक सेवा संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण को पद की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, जिला जज लखनऊ श्री नरेन्द्र जौहरी, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री रनधीर सिंह, महासचिव श्री हरेन्द्र बहादुर सिंह, अन्य पदाधिकारीगण तथा उत्तर प्रदेश के जनपदों से आए न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित थे।

राज्यपाल ने न्यायिक सेवा संघ के निर्वाचन में 43 प्रतिशत मतदान पर कहा कि लोकतंत्र में मतदान का बड़ा महत्व है। पूर्व में राजनीतिज्ञ होने के कारण मतदान प्रतिशत में उनकी विशेष रूचि रहती है। 1,850 न्यायिक अधिकारियों में केवल 805 ने मतदान किया। राज्यपाल ने कहा कि मतदान चाहे लोकसभा, विधान सभा या शहरी निकाय का हो, उनका प्रयास रहता है कि सभी मतदाता अपने अधिकार का पूर्णतया प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी संस्थाओं के चुनाव में सबकी सम्पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए।

श्री नाईक ने राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद के हिन्दी में निर्णय देने के सुझाव का समर्थन करते हुए कहा कि न्यायालय निर्णय देने में हिन्दी भाषा का प्रयोग करें। वैश्वीकरण के युग के जटिल मुद्दों, 'बैंकिंग फ्राड' तथा साइबर अपराधों जैसे नए तरीके के अपराध सहित संगठित हिंसा में बढ़ोत्तरी, ऐसी नई चुनौतियाँ हैं जिनका न्यायपालिका को मुकाबला करना होगा। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों एवं अपराध के खिलाफ जल्द फैसला करने के लिए भी विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नई चुनौतियों से सामना करने के लिए न्यायिक अधिकारी अपना ज्ञान बढ़ाते हुए अद्यतन जानकारी से भिज्ञ रहें।

कार्यक्रम में अन्य लोगों ने भी अपने विचार रखे।

अंजुम/ललित/राजभवन (103/19)

UTTAR PRADESH
JUDICIAL SERVICES ASSOCIATION
WELCOMES ALL DIGNITARIES & PARTICIPANTS TO THE
41st CONFERENCE OF U.P.J.S.A.
Oath to be Administered by
HON'BLE SRI RAM NAIK
The Governor, State of Uttar Pradesh
In the Benign Presence of
HON'BLE SRI JUSTICE VIKRAM NATH
Senior Judge, Lucknow Bench, Allahabad
on Sunday 11th March 201